उपायुक्त का कार्यालय (विकास भवन), चतरा।

(पंचायत शाखा)

– अल्पकालीन निविदा सूचना –

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) झारखण्ड, राँची के पत्रांक 45 (आ0) दिनांक 04.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन से चतरा जिला के लिए निर्मित DPRC भवन में उपकरण/मशीन मुहैया कराने हेतु निम्न प्रकार के उपकरण/मशीन क्रय हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/संस्थान/निर्माता से निविदा आमंत्रित की जाती है। जैसे– कम्प्यूटर, जेरोक्स मशीन, इन्भर्टर, विद्यत उपस्कर, लघु मरम्मति, सुरक्षा, साफ–सफाई एवं संबंधित उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, प्रोजेक्टर, स्टेशनरी, सौदर्यीकरण, रंग–रोगन, उन्नयन एवं प्रशिक्षण में सहायक तथा आवश्यक सामग्री। निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय (विकास भवन, चतरा) में दिनांक 25.03.2020 को 12:00 बजे अपराह्न तक जमा करेंगे। दिनांक 25.03.2020 को ही 03:00 बजे अपराह्न में निदेशक, डी0आर0डी0ए0, चतरा की अध्यक्षता में जिला निविदा समिति द्वारा निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के कार्यालय कक्ष (विकास भवन, चतरा) में निविदा खोली जायगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा से संबंधित शर्ते कार्यालय के सूचना पट पर एवं www.chatra.nic.in पर देखा जा सकता है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/- 18/03/2020

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
चतरा।

ज्ञापांक 152/**पं0** **दिनांक** 18/3/2020

प्रतिलिपि :–

1. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पचांयती राज) झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ समर्पित।
2. उपायुक्त, चतरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
3. उप विकास आयुक्त, चतरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, चतरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि निविदा को प्रमुख सामाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेशत है कि निविदा को चतरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 18/03/2020

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
चतरा।

निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 30,000/– (तीस हजार) रूपये अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा के पदनाम से संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का अद्यतन आयकर, GST निबंधन प्रमाण–पत्र, बिक्रीकर, स्वच्छता प्रमाण–पत्र/अनापति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष प्रत्येक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नही किया जायगा।
4. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल प्रतिष्ठान का ही वित्तीय निविदा स्वीकार किया जायगा।
5. सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत नमूने के अनुरूप जिले के DPRC भवन में आपूर्ति आदेश निर्गत तिथि के 10 दिनों के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नही होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नही करने पर आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायगी।
6. GST अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निबंधित उत्पादनकर्त्ता/अधिकृत विक्रेता का निविदा ही मान्य होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/एजेन्सी काली सूची में दर्ज नही है तथा हर प्रकार के आरोप एवं जॉच से मुक्त है।
7. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायगा।
8. आपूर्ति किये जाने वाले सामान का नमूना जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में जमा करना होगा।
9. निविदा में परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के व्यय को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।
10. नमूनू से भिन्न सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकार्य नही होगी तथा आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायगी।
11. आपूर्ति की गयी सामानों की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए। यदि आपूर्ति की गई सामग्रियों में एक साल के अन्दर कोई खराबी आती है तो उकी मरम्मति/रख–रखाव की सारी जवाबदेही आपूत्तिकर्त्ता की होगी जिसके लिए उन्हें अलग से कोई राशि देय नही होगी।
12. स्वीकृत/निविदीत प्रतिष्ठान को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा के साथ एकरारनामा करना होगा।
13. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार उपायुक्त, चतरा को सुरक्षित होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही किया जायेगा।

18/02/2020

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
चतरा।